# राइजिंग इन्दौर

सच का सारथी

इंदौर, बुधवार, 18 मार्च 2026

वर्ष -13, अंक-11, पेज- 8, मूल्य 2 रूपए

जुड़िए हमसे... @risingindore.news www.risingindore.com और +91-731-4032200 पर



Inside
page 05

**प्रदेश सरकार का दावा नहीं है कहीं कोई कमी**

# एलपीजी गैस के लिए मचा हड़कंप

## कांग्रेस कर रही है आंदोलन, नहीं मिल रही है गैस

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

**पूरे प्रदेश में एलपीजी गैस को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इस हड़कंप के बीच में राज्य सरकार के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है। कांग्रेस के द्वारा गैस के संकट को लेकर भोपाल में करीब करीब रोज ही आंदोलन किया जा रहा है।**

इस समय पूरे प्रदेश में गैस के संकट के हालात बनने की सुगबुगाहट है। प्रदेश के अलग-अलग शहरों से अलग-अलग तस्वीर सामने आ रही है। इसमें से किसी शहर में लोगों ने गैस के सिलेंडर की लाइन लगा रखी है तो किसी शहर में अपने सिलेंडर को बुक करने के लिए लोग आधी रात से जाकर गैस एजेंसी के कार्यालय पर बैठ जाते हैं। हर कोई गैस के सिलेंडर को बुक करना चाहता है। ईरान इराक इसराइल और अन्य देशों के बीच में चल रहे युद्ध के कारण भारत में गैस का संकट पैदा होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। भारत सरकार के द्वारा बार-बार यह स्पष्ट किया जा रहा है कि हमारे पास गैस पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम गैस के टैंकर बुला भी रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कहीं गैस की कोई कमी नहीं है। नागरिकों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए गैस दी जाएगी। दोनों सरकार के द्वारा दावा किया जाने के बावजूद हकीकत कुछ और भी नजर आ रही है।

इस हकीकत की स्थिति के चलते हुए ही शासन और प्रशासन के द्वारा पहले यह कहा गया कि देश की टंकी दिए जाने के 21 दिन बाद ही दूसरे टंकी की बुकिंग हो सकेगी। उसके बाद में इस आदेश में भी संशोधन किया गया। फिर कहा गया कि अब पहले टंकी के बाद दूसरी टंकी की बुकिंग में 25 दिन का अंतर रहेगा। अब ऐसी स्थिति में प्रश्न यह है कि यदि गैस की कहीं कोई समस्या नहीं है और सब कुछ सामान्य है तो फिर गैस की टंकी की बुकिंग में इस तरह का अंतर क्यों रखना पड़ा है। इस समय तो हालत यह हो गई है कि लोग बुकिंग करना चाहते हैं तो टंकी बुक नहीं हो रही है। अब तक जो मोबाइल नंबर के माध्यम से बुकिंग की व्यवस्था थी वह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इस स्थिति के चलते हुए भी लोगों को इस बात की आशंका बढ़ गई है कि गैस की आपूर्ति की स्थिति बराबर नहीं है।

### छोटे दुकानदारों पर संकट

शहर में छोटी-छोटी चाय नाश्ते की दुकान चलाने वालों के समक्ष गैस के संकट से रोजगार का संकट पैदा हो गया है। गैस की टंकी नहीं मिलने के कारण बहुत सारी चाय की दुकान बंद हो गई है। लोगों को भी चाय की चुस्की लेने के लिए अब परेशान होना पड़ रहा है। हमेशा जिन स्थानों पर आसानी से चाय उपलब्ध रहा करती थी उन स्थानों पर इस समय चाय उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे स्थान पर तो बोर्ड लग गए हैं तो बहुत सारी दुकानों में ताले भी लग गए हैं।

### जबलपुर के गांव में 25% घरों में बायोगैस से जलता है चूल्हा

मध्य प्रदेश के जबलपुर का गांव बंदर कोला इस समय सभी का ध्यान अपनी और आकर्षित कर रहा है। इस गांव में 75 प्रतिशत घरों में बायोगैस से चूल्हा जलाया जाता है। इस समय यह गांव एलपीजी गैस के संकट से पूरी तरह अछूता है। इस गांव में कुल 400 घर है और यहां की आबादी 2000 है। अधिकांश घर में गोबर से बायोगैस का तैयार करने का काम किया जाता है। इसी बायोगैस से इन ग्रामीणों के द्वारा अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। वर्ष 2013 में इस गांव में सबसे पहले अजय पटेल ने अपने घर से बायोगैस की शुरुआत की थी। इस गांव के लोगों का कहना है कि गोबर से बायोगैस बनाने का प्लांट लगाने में 10 से 12 हजार का खर्चा आता है लेकिन उससे पूरे जीवन की आसानी हो जाती है।


राइजिंग इंदौर अब www.risingindore.com और MAGZTER.com पर डिजिटल रूप में भी उपलब्ध...

## सुधरेगा ट्रैफिक दूर होगी परेशानी जाम से मिलेगी मुक्ति

# शहर के पश्चिम क्षेत्र के तीन किमी दायरे में बनेगें दो FOB

राइजिंग इन्दौर
■ विपिन नीमा

**बड़ा गणपति FOB**
- निर्माण करेगा IDA
- शहर का पहला थ्री लेन ब्रिज
- नर्मदा समेत तीन लाइन होगी शिफ्ट
- शिफ्टिंग पर खर्च होगा 12 CR
- शिफ्टिंग का काम करेगा निगम
- भुगतान करेंगा IDA

**चंदन नगर FOB**
- निर्माण करेंगा नगर निगम
- सर्वे किया आईडीए ने
- निगम को सौंपी सर्वे रिपोर्ट
- अब टेंडर की तैयारी
- नर्मदा - ड्रेनेज लाइन होंगी शिफ्ट

**इंदौर।** शहर के पश्चिम क्षेत्र की ट्रेफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए दो फ्लाई ओव्हर का निर्माण शुरू होने वाला है। ये दोनों फ्लाईओवर ब्रिज चंदन नगर चौराहा और बड़ा गणपति चौराहा पर बनेगें। इन दोनों चौराहों के बीच की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर है। ट्रैफिक के लिहाज से दोनों चौराहे काफी व्यस्त रहते हैं और यहां पर सुबह से लेकर रात तक ट्रैफिक का फ्लो एक जैसा बना रहता है। दोनों चौराहे पर बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए आईडीए बड़ा गणपति पर और निगम चंदन नगर चौराहे पर फ्लाई ओवर ब्रिज (FOB) बनाने की तैयारी कर रहा है। दोनों विभागों ने अपने-अपने ब्रिज के लिए कागजी कार्रवाई लगभग पूर्ण कर ली है। चंदन नगर ब्रिज के लिए आईडीए ने सर्वे करवाकर सर्वे रिपोर्ट निगम को सौंप दी है। जबकि आईडीए बड़ा गणपति ब्रिज के लिए वर्क आर्डर भी एजेंसी को दे चुका है। बड़ा गणपति फ्लाई ओव्हर के अलाइनमेंट में आ रही नर्मदा लाइन, ड्रेनेज लाइन तथा स्टॉम वॉटर लाइनों को शिफ्ट करने के लिए आईडीए, निगम को 12 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगा। काम शुरू करने के लिए वह निगम को पहली किस्त के रूप में 2.50 करोड़ रु का भुगतान कर चुका है। शेष राशि के भुगतान के लिए निगम ने आईडीए को पत्र लिखा है। बड़ा गणपति ब्रिज शहर का पहला थ्री लेन का होगा।

### ब्रिज बनने से दोनों चौराहों से कम होगा ट्रेफिक का दबाव

चंदन नगर और बड़ा गणपति चौराहा शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल है। इन दोनों चौराहों पर सुबह से लेकर रात तक ट्रैफिक का दबाव बना रहता है। नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने दोनों चौराहे सुधारने की दिशा में कई प्रयोग किए, लेकिन एक भी प्रयोग सफल नहीं हुआ और आज भी दोनों चौराहों पर वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब दोनों चौराहों से ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए आईडीए और नगर निगम दोनों ही एक ब्रिज की तैयारी कर रहे है। आईडीए लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से बड़ा गणपति चौराहे तथा नगर निगम 40 करोड़ की लागत से चंदन नगर चौराहे पर ब्रिज का निर्माण करेंगा। आईडीए ने बड़ा गणपति ब्रिज के लिए टैंडर प्रक्रिया पूरी कर वर्क आर्डर जारी कर दिया है, जबकि आईडीए ने चंदन नगर चौराहे के ब्रिज का सर्वे कर सर्वे रिपोर्ट निगम को सौंप दी है। निगम अब जल्द ही टैंडर प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहा है।

### बड़ा गणपति फ्लाईओवर ब्रिज का प्रोजेक्ट

| |
|---|
| फ्लाईओवर की कुल लंबाई - 543.005 मीटर |
| चौड़ाई - 12.00 मीटर (तीन लेन) |
| अनुबंध राशि - 23.38 करोड़ |
| ठेकेदार का नाम - मेसर्स आईसीसी इंफ्रा प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| जिंसी चौराहे की ओर ठोस पहुंच (आरईएस) की लंबाई - 144.762 मीटर |
| खालसा कालेज पर ठोस पहुंच मार्ग (आरईएस) की लंबाई - 122.243 मीटर |
| जिंसी चौराहे की साइड एप्रोच में वायडक्ट की लंबाई 125 मीटर |
| खालसा कॉलेज की ओर पहुंच मार्ग में पुल की लंबाई - 100 मीटर |
| वायडक्ट में फ्लाईओवर की कुल चौड़ाई - क्रैश बैरियर सहित 12 मीटर |

### लाइन की शिफ्टिंग के लिए हुष्ट, निगम को देगा 12 करोड़ रु

आईडीए से मिली जानकारी के मुताबिक बड़ा गणपति फ्लाई ओव्हर के अलाइनमेंट में नर्मदा लाइन, ड्रेनेज लाइन तथा स्टॉम वॉटर लाइन आ रही है, जिसकी शिफ्टिंग का काम प्रारंभ होने वाला है। बताया गया है कि इन तीनों लाइनों की शिफ्टिंग करने के लिए 12 करोड़ रुपए खर्च होगा। लाइन शिफ्टिंग का काम निगम करेगा जबकि इसका पूरा भुगतान आईडीए को करना पड़ेगा। बताया गया है कि निगम ने आईडीए से सीवर लाइन की शिफ्टिंग के लिए 10.58 करोड़ रुपए और नर्मदा लाइन की शिफ्टिंग के लिए 1.36 करोड़ रुपए मांगे है। कुल 12 करोड़ रु. में से आईडीए अभी तक निगम को 2.50 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है, जिसमें सीवर लाइन के 2 करोड़ रुपए तथा नर्मदा लाइन 50 लाख रुपए शामिल है। शेष राशि के लिए निगम ने आईडीए को पत्र लिखा है। इसी प्रकार चंदन नगर फ्लाई ओव्हर ब्रिज के निर्माण से पहले निगम को जमीन के नीचे बिछाई गई नर्मदा और ड्रेनेज की लाइने शिफ्ट करना होगी। इसके लिए सर्वे भी हो चुका है। सर्वे रिपोर्ट जल यंत्रालय एवं ड्रेनेज और जलप्रदाय विभाग को भेजी जा रही है।

### ब्रिज के अलाइनमेंट में 1400 एमएम की सीवर लाइन बिछी है

आईडीए द्वारा एजेंसी एवं पी.एम.सी. द्वारा फ्लाई ओव्हर अलाइनमेंट में रडार सर्वे किया गया जिसमें पाया गया कि वर्तमान में ब्रिज के अलाइनमेंट में लगभग 5 से 7.5 मीटर गहराई में 1400 एम.एम. की सीवर लाईन गुजर रही है, जिसके कि चेम्बर रोड के सेन्ट्रल वर्च में बने हुए है। इसी प्रकार सीवर लाइन के एक ओर 750 एम.एम. में ग्रेविटी मेन नर्मदा की पाइप लाइन है जो लगभग 30 से 40 साल पुरानी है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में ये लाइन बड़ा गणपति चौराहे से अंतिम चौराहे तक है। इसी प्रकार स्टॉम वॉटर लाइन डेढ़ से दो मीटर की गहराई प्रतीत होती है। उक्त तीनों लाइन पाइल एवं पाइल कैप के अलाइनमेंट में आ रही है। इस तरह सीवर लाइन, वाटर लाइन एवं स्टॉर्म वॉटर लाइन को शिफ्टिंग किये जाने के बाद ही ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा।

# फाइनल ईयर की परीक्षा में प्रश्न - भारत का संविधान कब लागू हुआ?

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

**इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्नातक की फाइनल ईयर की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछे गए इस प्रश्न में चार उत्तर दिए गए थे। इसमें 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1947 का विकल्प दिया गया था।**

यह प्रश्न शनिवार को सुबह हुई स्नातक तृतीय वर्ष की फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा में व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण के प्रश्न पत्र में पूछा गया। इसके साथ कुछ अन्य भी ऐसे सवाल पूछे गए जिन्हें देखकर विद्यार्थी भी मुस्कुरा दिए। एक प्रश्न पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। योग से किन-किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं। योग कितने प्रकार का होता है। राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है। सांसों पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसी प्रश्न पत्र में यह भी पूछा गया कि वसुदेव कुटुंबकम किस ग्रंथ से लिया गया है। यह किस भाषा का श्लोक है।

इसी प्रकार डिजिटल अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी के प्रश्न पत्र में भी स्नातक के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों से बहुत ही ज्यादा सरल और स्कूल स्तर के सवाल किए गए। इसमें पूछा गया कि ब्राउज़र क्या होता है। सर्च इंजन का उदाहरण क्या है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। इंटरनेट पर सुरक्षित लेनदेन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है। क्यू आर का मतलब क्या होता है। साइबर स्पेस क्या होता है। एबीसी क्या है। रेलवे टिकट की बुकिंग कौन से पोर्टल से की जाती है। इस तरह के विद्यालय स्तर के प्रश्न फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को पूछे जाने से सभी ने खुशी-खुशी पेपर दिया और पेपर आसान रहा।

### उठता रहा है सवाल

हमेशा हमारी शिक्षा नीति पर यह सवाल उठता रहा है कि इस शिक्षा नीति में बच्चों के ज्ञान पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जाता है। इस स्थिति को बदलने के लिए ही भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई। इस नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे ढर्रे में कोई परिवर्तन नहीं आया है। विश्वविद्यालय की फाइनल ईयर की परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न इस बात का प्रतीक है। वैसे तो इस तरह का प्रश्न प्राइमरी की कक्षा के बच्चे ही सुलझा लेते हैं। तो फिर इस तरह के प्रश्न स्नातक के फाइनल ईयर में पूछना कहां की समझदारी है।

# इंदौर के पूर्व कलेक्टर में सबसे अमीर नरहरि

## इंदौर में संभागायुक्त, कलेक्टर, निगमायुक्त में कौन अमीर, पूर्व कलेक्टर में इनके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

**मध्यप्रदेश के आईएएस अधिकारियों ने संपत्ति की घोषणा कर दी है। इंदौर में अहम पदों पर बैठे अधिकारियों (संभागायुक्त, कलेक्टर, निगमायुक्त) के साथ ही इंदौर के पूर्व कलेक्टरों को लेकर यह खुलासा हुआ है।**

केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग में सभी आईएएस अधिकारियों ने अपनी अचल संपत्तियों का ब्यौरा दिया है। इसमें मध्यप्रदेश के भी आईएएस शामिल हैं। ऐसे में सभी की नजरें होती हैं कि आखिर एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर में पदस्थ अधिकारियों की संपत्ति कितनी है।

वहीं इंदौर में बीते दस सालों में रहे कलेक्टरों की भी संपत्तियों के रिकॉर्ड को खंगाला कि आखिर इनमें कौन सबसे ज्यादा अमीर है।

### संभागायुक्त के आगे फीके कलेक्टर, निगमायुक्त

इंदौर में पदस्थ 2006 बैच के आईएएस सुदाम पंढरीनाथ खाड़े की अचल संपत्तियों की कुल कीमत तीन करोड़ 21 लाख रुपए है। इन संपत्तियों से वह हर साल करीब चार लाख 90 हजार रुपए की आय करते हैं।

**वर्तमान कलेक्टर, निगम आयुक्त के पास संपत्ति ही नहीं**

वहीं, इंदौर कलेक्टर और 2013 बैच के आईएएस शिवम वर्मा संपत्ति मामले में कहीं भी सूची में नहीं हैं। उनकी संपत्तियां शून्य हैं। उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। इसी तरह 2014 बैच के आईएएस और वर्तमान में निगमायुक्त (आईएएस क्षितिज सिंघल) का भी यही हाल है। उनके पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं है और उन्होंने अपने ब्यौरे में अचल संपत्ति शून्य बताई है।

### इंदौर के पूर्व कलेक्टरों की संपत्ति को लेकर ये हाल

#### इंदौर के पूर्व 5 कलेक्टर

अब शिवम वर्मा से पहले इंदौर में बीते 10 सालों में कलेक्टर रह चुके आईएएस आशीष सिंह, इलैयाराजा टी., मनीष सिंह, लोकेश जाटव, निशांत वरवड़े और पी. नरहरि की भी संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगाला गया। यह साल 2015 से 2025 (दस साल) के दौरान इंदौर में कलेक्टर पद पर पदस्थ रहे हैं।

**आईएएस आशीष सिंह** (जनवरी 2024 से सितंबर 2025) - वर्तमान में उज्जैन संभागायुक्त सिंह की संपत्ति शून्य है। इनके पास एक भी अचल संपत्ति नहीं है।

**आईएएस इलैयाराजा टी.** – यह इंदौर में नवंबर 2022 से जनवरी 2024 तक कलेक्टर रहे। इनकी संपत्ति का रिकॉर्ड नहीं मिला है।

**आईएएस मनीष सिंह** – यह इंदौर में मार्च 2020 से नवंबर 2022 तक कलेक्टर रहे हैं। इनके पास मूल रूप से पैतृक संपत्ति है। वहीं एक संपत्ति स्वयं और पत्नी के नाम संयुक्त तौर पर है, जो इंदौर में 0.230 हेक्टेयर बढ़िया कीमा, बिचौली हप्सी में है। इसकी कीमत 65 लाख रुपए है। यह खाली पड़ी है। वहीं पैतृक संपत्ति में भोपाल हुजूर में उनकी पत्नी के नाम पर संपत्ति है, जो उन्हें उनके पिता से मिली है। इसी तरह बीडीए से लीज होल्ड प्लॉट है अंकुर कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल में, जो वसीयत के आधार पर मिला है।

**लोकेश जाटव** – यह इंदौर में जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक कलेक्टर रहे हैं। इनके पास झांसी (यूपी) में एक पैतृक संपत्ति है, जिसकी कीमत 77 लाख रुपए है। वहीं भोपाल में गांव महाबढ़िया, कोलार में खाली प्लॉट है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है। यह पत्नी के नाम पर है।

**आईएएस निशांत वरवड़े** – यह इंदौर में जून 2017 से दिसंबर 2018 तक कलेक्टर रहे हैं। इन्होंने भी संपत्तियां शून्य बताई हैं। अचल संपत्तियां इनके पास नहीं हैं।

सबसे अमीर कलेक्टर पी. नरहरि वहीं इंदौर में बीते 10 सालों में कलेक्टर रहे आईएएस अधिकारियों में सबसे ज्यादा संपत्ति साल 2001 बैच के अधिकारी पी. नरहरि की है। इनके पास कुल पांच करोड़ 62 लाख रूपए की अचल संपत्तियां हैं।

तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले में जमीन है, जिसकी कीमत छह लाख 52 हजार रुपए है। यह खुद के नाम पर है।

तेलंगाना के मल्काजगिरी में जमीन है, जिसकी कीमत एक करोड़ 68 लाख रुपए है, जो खुद और पत्नी के संयुक्त नाम पर है।

यहीं पर एक और जमीन है, जिस पर घर बना हुआ है। इसकी कीमत तीन करोड़ रुपए है।

तेलंगाना में ही पेड्डापल्ली जिले में जमीन है, जिस पर दो मंजिला मकान है। इसमें जमीन की कीमत 24 लाख 70 हजार रुपए और मकान की कीमत 61 लाख रुपए है। नोएडा में फ्लैट है, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए है, जो पत्नी और उनके नाम पर है।

# इंदौर यशवंत क्लब के बाहर नगर निगम ने ढोल बजवा करवा दी मुनादी, 2.64 करोड़ संपत्ति कर बकाया

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर के प्रतिष्ठित और राजा-रजवाड़ों द्वारा स्थापित यशवंत क्लब की भद पिट गई है। नगर निगम ने संपत्तिकर बकाया को लेकर ढोल बजवाकर मुनादी करा दी। क्लब में पहचान रखने वाले यशवंत क्लब की बुरी तरह भद पिट गई है। इंदौर नगर निगम ने क्लब के बाहर वसूली अधिकारियों को भेजा और बाहर जमकर ढोल बजवाकर मुनादी करा दी। साथ ही क्लब की दीवार पर संपत्तिकर को लेकर नोटिस भी चस्पा करा दिया। निगम की टीम के साथ ढोल लेकर मुनादी वाला आया और वहां एक मिनट तक ढोल बजाया गया। साथ ही वसूली अधिकारियों ने घोषणा करते हुए कहा कि क्लब पर संपत्ति कर बकाया है। वह जल्द भर दें नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर क्लब के जून 2026 में चुनाव होना है, इसके पहले इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। क्लब पर 2 करोड 64 लाख संपत्ति कर बकाया है।

### वर्तमान मैनेजिंग कमेटी की कार्यशैली पर उठे सवाल

वहीं इस कदम से वर्तमान मैनेजिंग कमेटी की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। नगर निगम और क्लब के बीच में संपत्तिकर को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। बीच में क्लब की नपती भी हुई थी। मामला कोर्ट में भी गया। लेकिन इसके बाद भी मामला नहीं सुलझा। उधर वित्तीय साल 2025-26 के खत्म होने से पहले 31 मार्च के पूर्व वसूली को लेकर निगम ने सख्ती शुरु कर दी है। इसी के तहत बड़े बकायादारों के यहां तकाजा किया जा रहा है। इसके बाद भी नहीं जमा करने पर कुर्की की जाएगी।

### क्या है क्लब और निगम का संपत्तिकर विवाद

यशवंत क्लब की साल 2020 में नपती हो गई थी, जिसके बाद इंदौर नगर निगम ने नए सिरे से टैक्स की गणना की और नई डिमांड जारी की। इस डिमांड के खिलाफ क्लब ने याचिका (19108/2020) दायर की। इसमें 2022 में अंतरिम आदेश हुआ कि 30 फीसदी टैक्स क्लब द्वारा भर दिया जाए और बाकी याचिका चलती रहेगी। तब क्लब पर करीब 68 लाख रुपए का टैक्स था। इसके बाद क्लब ने संपत्ति कर भरना बंद कर दिया।

### फिर नए भवन में आई अड़चन तो नया विवाद

इसके बाद क्लब ने शांति पकड़ ली। हाल ही में क्लब ने 100 नए सदस्य बनाकर उनसे 25 करोड़ की राशि जमा कर क्लब में नए विकास, भवन की योजना बनाई। इसमें नक्शा मंजूरी के लिए आवेदन किया तो निगम के पोर्टल ने टैक्स बकाया होने पर यह आवेदन लिया ही नहीं। पोर्टल में नियम है कि जब तक निगम के पूरे टैक्स जमा नहीं होंगे पोर्टल एक्सेस ही नहीं देगा।

### इसके बाद एक के बाद एक याचिकाएं

इसके बाद क्लब ने भवन मंजूरी के लिए साल 2025 में रिट पिटीशन (32538/25) दाखिल की। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2025 में इसमें निगम को भवन नक्शा पास करने के आदेश दिए। लेकिन प्रापर्टी टैक्स बकाया होने की बात कहते हुए निगम ने इसमें रिट अपील (86/2026) दाखिल की, लेकिन 7 जनवरी को यह याचिका खारिज हो गई।

इसमें निगम ने कहा कि क्लब स्टे के बाद से ही टैक्स नहीं भर रहा है। लेकिन याचिका खारिज हो गई। वहीं क्लब ने हाईकोर्ट सिंगल बेंच के आदेश के बाद भी नक्शा पास नहीं होने पर अवमानना याचिका (735/26) दायर कर दी। इसमें 3 फरवरी को आदेश हुआ कि 30 दिन में सिंगल बेंच के आदेश का पालन किया जाए।

### इसके बाद एक के बाद एक याचिकाएं

इसके बाद क्लब ने भवन मंजूरी के लिए साल 2025 में रिट पिटीशन (32538/25) दाखिल की। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2025 में इसमें निगम को भवन नक्शा पास करने के आदेश दिए। लेकिन प्रापर्टी टैक्स बकाया होने की बात कहते हुए निगम ने इसमें रिट अपील (86/2026) दाखिल की, लेकिन 7 जनवरी को यह याचिका खारिज हो गई।

इसमें निगम ने कहा कि क्लब स्टे के बाद से ही टैक्स नहीं भर रहा है। लेकिन याचिका खारिज हो गई। वहीं क्लब ने हाईकोर्ट सिंगल बेंच के आदेश के बाद भी नक्शा पास नहीं होने पर अवमानना याचिका (735/26) दायर कर दी। इसमें 3 फरवरी को आदेश हुआ कि 30 दिन में सिंगल बेंच के आदेश का पालन किया जाए।

## संपादकीय...

# गैस का संकट गंभीर, समाधान निकालने की जरूरत

इस समय देश में पैदा हुआ देश का संकट गंभीर स्थिति में है। लोगों के घरों में तो चूल्हा जलता रहे इसके लिए सरकार गैस की टंकी की व्यवस्था जैसे तैसे कैसे भी कर देगी। आम नागरिकों को चाहे टंकी 25 दिन बाद मिले या 30 दिन बाद मिले वे लोग तो एडजस्ट करके कैसे भी अपना काम चला लेंगे। सबसे ज्यादा समस्या व्यापारियों और उद्योगपतियों को आना है। बहुत सारे औद्योगिक कार्य भी ऐसे होते हैं जो गैस के माध्यम से ही किए जाते हैं। इसके साथ ही सराफा बाजार में कारीगरों के द्वारा जो काम किया जाता है उसमें भी गैस की आवश्यकता सबसे ज्यादा रहती है। होटल रेस्टोरेंट

■ गौरव गुप्ता

ढाबा भोजनालय हॉस्टल और आश्रम हमेशा से व्यावसायिक गैस का उपयोग कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते रहे हैं। इनके लिए गैस की आपूर्ति की अभी कोई व्यवस्था निश्चित नहीं हो सकी है। ऐसी स्थिति में अब बड़ी संख्या में छोटी-छोटी चाय की दुकानों पर तो ताले लग गए हैं। अब बारी ढाबा और रेस्टोरेंट की है। यह स्थिति निश्चित तौर पर आने वाले कल की दृष्टि से खतरनाक संकेत देती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को व्यावसायिक क्षेत्र में भी गैस की आपूर्ति को सुगम और सुलभ बनाने के लिए कदम उठाना चाहिए। यदि यह कम समय रहते नहीं उठाए गए तो निश्चित तौर पर नागरिकों का बड़ा नुकसान होगा।

# सरसों का तेल, ऑलिव या रिफाइंड, भारतीयों की कुकिंग के लिए कौन सा तेल है बेस्ट?

**आमतौर पर खाना बनाते समय लोग तेलों को मिलाकर इस्तेमाल कर लेते हैं, खासतौर पर सरसों और रिफाइंड तेल मिलाकर खाना बनाते हैं। आइए इस बारे में डॉक्टर से जानते हैं कि क्या तेलों को मिलाकर खाना पकाना सही है या गलत, कौन-सा तेल दिल के मरीजों के लिए सही होता है।**

### तेल को सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए

भारतीय खाने की जान उनके मसाले होते हैं, लेकिन मसालों के साथ-साथ हर इंडियन डिश में तेल का इस्तेमाल भी उसे टेस्टी बनाता है। हर सब्जी को तेल में बनाया जाता है, लेकिन दिल की सेहत के लिए तेल पर ही सवाल खड़े होते है। अक्सर ही लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि खाना बनाने के लिए कौन-सा कुकिंग ऑयल सबसे बेहतर है, जो उनके दिल के लिए सबसे बढ़िया हो।

आमतौर पर घरों में दो तरीके के तेलों का इस्तेमाल किया जाता है, चिकन-मटन और हैवी सब्जियों को बनाने के लिए सरसों का तेल और पराठे बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, कई बार तो लोग जब तेल खत्म होने लगता है तो इन दोनों तेलों को मिक्स भी कर देते हैं।

ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या इस तरह तेलों को मिलाना सही है या इसका खाने पर कोई साइड इफेक्ट पड़ता है। इस बारे में सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डॉ. प्रशांत पवार ने बताया कि

डॉ. आरती मेहरा
आहार एवं पोषण विशेषज्ञ
7999788456

### गलत तेल से हो सकती है बीमारियां

उन्होंने सबसे पहले कहा, कुकिंग ऑयल को सिर्फ स्वाद के आधार पर नहीं बल्कि उसके पोषण और स्मोक पॉइंट के आधार पर ही खरीदना चाहिए। सही तेल दिल की सेहत को बेहतर बना सकता है, जबकि गलत तेल शरीर में खराब फैट बढ़ाकर कई बीमारियों का कारण बन सकता है।

### क्या अलग-अलग तेलों को मिलाकर खाना चाहिए?

डॉ. पवार के मुताबिक, अलग-अलग प्रकार के तेलों को मिलाकर इस्तेमाल करना आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। इसे ब्लेंडिंग ऑयल कहा जाता है। कई लोग सरसों, सोयाबीन या अन्य तेलों को मिलाकर खाना बनाते हैं ताकि खाने का टेस्ट बेहतर हो और उसमें अलग-अलग मिनरल्स भी मिल सकें। तेलों को मिलाने से खाने में एक खास फ्लेवर आ सकता है और कुछ मामलों में पोषण भी बेहतर हो सकता है।

लेकिन तेलों को मिलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर तेल का स्मोक पॉइंट अलग-अलग होता है। अगर तेल को उसकी सीमा से ज्यादा गर्म किया जाए तो वह टूटने लगता है और उसमें हानिकारक तत्व बनने लगते हैं। इससे न सिर्फ तेल का पोषण घट जाता है बल्कि शरीर के लिए खतरनाक पदार्थ भी बन सकते हैं।

इसलिए अगर कोई शख्स तेलों को मिलाकर इस्तेमाल करता है, तो उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि किस तापमान पर खाना पकाया जा रहा है और तेल की क्वालिटी कैसी है।

### क्या सरसों के तेल में रिफाइंड ऑयल मिलाना सही है?

डॉ. पवार ने कहा, आमतौर पर, स्वाद और फैट प्रोफाइल को संतुलित करने के लिए सरसों के तेल में रिफाइंड तेल मिलाया जाता है, लेकिन इससे यह कम हेल्दी माना जाता है। इसके अलावा, तेलों को आपस में मिलाने से उनका स्मोक पॉइंट बदल जाता है और वे तेजी से खराब हो सकते हैं।

हालांकि तेलों को मिलाकर इस्तेमाल करना पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए सावधानी जरूरी है। सबसे जरूरी बात यह है कि तेल को बहुत ज्यादा गर्म न किया जाए और संतुलित मात्रा में ही इस्तेमाल किया जाए। ऐसा करने से खाने का टेस्ट भी खराब नहीं होता है और हमारी सेहत के लिए भी सुरक्षित रहता है।

### कुकिंग के लिए सरसों या सोयाबीन में कौन बेहतर?

भारतीय किचन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले तेलों में सरसों और सोयाबीन का नाम आता है। दोनों ही तेलों में पोषक तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन सरसों का तेल कई मामलों में ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।

डॉ. प्रशांत पवार के अनुसार, सरसों के तेल में ओमेगा-3 फैटी एसिड और मोनोअनसैचुरेटेड फैट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये फैट दिल के लिए अच्छे माने जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखने में भी मदद करते हैं। सरसों के तेल का स्मोक पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है, लगभग 250 डिग्री सेल्सियस तक।

यही कारण है कि यह भारतीय स्टाइल कुकिंग जैसे तड़का, फ्राई या सब्जी बनाने के लिए बेहतर माना जाता है। सरसों का तेल खाने में एक खास स्वाद भी देता है, जो भारतीय खाने के साथ अच्छी तरह मेल खाता है।

### दिल के मरीजों के लिए सबसे अच्छा कुकिंग ऑयल कौन-सा?

बदलती लाइफस्टाइल की वजह से खानपान की आदतों में भी काफी बदलाव हो गया है और इसकी वजह से हमारी हेल्थ पर भी इसका बुरा असर पड़ने लगा है। खाना पकाते समय हम जिस तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी हमारे दिल पर असर डाल रहा है। इसलिए कुकिंग ऑयल चुनते समय भी बहुत सोचना पड़ता है। डॉ. प्रशांत का भी कहना है कि दिल के मरीजों के लिए सबसे अच्छा कुकिंग ऑयल बहुत सोच-समझकर चुनना चाहिए। उन्होंने बताया कि हार्ट पेशेंट के लिए कौन-सा तेल अधिक फायदेमंद हैं।

रिफाइंड ऑयल से बचना चाहिए, क्योंकि यह अधिक तापमान पर जल जाता है, जिससे इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है और इसमें जहरीले पदार्थ बन जाते हैं।

सरसों का तेल ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स अधिक होते हैं, यह ज्यादा स्थिर भी होता है, और दिल की बीमारियों का खतरा कम करता है।

कुसुम के तेल का स्वाद न्यूट्रल होता है और इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अधिक होते हैं। तिल के तेल में एंटीऑक्सीडेंट सेसामोल अधिक मात्रा में होता है।

एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा सोर्स है, लेकिन इसका स्मोक पॉइंट कम होता है, इसलिए इसे भारतीय खाना पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता; यह ड्रेसिंग के लिए सबसे अच्छा रहता है।

# भारत में नया श्रम कानून और उसके प्रावधान

भारत में नया श्रम संहिता (New Labour Codes) एक ऐतिहासिक सुधार है, जिसने देश के श्रम कानूनों को आधुनिक, सरल और श्रमिक-अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 से चार श्रम संहिताओं को प्रभावी कर दिया है, जो पुराने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों की जगह ले रही हैं। मार्च 2026 में ये संहिताएं प्रभावी हैं, लेकिन पूर्ण क्रियान्वयन (विस्तृत नियमों सहित) 1 अप्रैल 2026 से अपेक्षित है, जब अधिकांश प्रावधान देशव्यापी रूप से लागू होंगे।

## पुराने श्रम कानूनों का पृष्ठभूमि (Backgorund)

भारत के श्रम कानूनों की शुरुआत ब्रिटिश काल से हुई थी। पहला प्रमुख कानून फैक्टरियां एक्ट, 1881 था, जिसमें कार्य घंटों और बच्चों के काम पर कुछ सीमाएं लगाई गईं। आजादी के बाद 1920-1950 के दशक में कई कानून बने, जैसे-

- ट्रेड यूनियंस एक्ट, 1926
- पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, 1936
- इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947
- फैक्टरियां एक्ट, 1948
- मिनिमम वेजेस एक्ट, 1948
- एम्प्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड एक्ट, 1952
- मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961
- पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972

और कई अन्य। कुल मिलाकर केंद्र स्तर पर 44 से अधिक और राज्य स्तर पर 100 से ज्यादा श्रम कानून थे, लेकिन नई संहिताओं ने मुख्य रूप से 29 केंद्रीय कानूनों को समेकित किया। ये कानून अलग-अलग विषयों पर बने थे – वेतन, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा आदि – लेकिन समय के साथ वे पुराने, जटिल, बिखरे हुए और परस्पर असंगत हो गए।

## पुराने कानूनों की प्रमुख समस्याएं

**जटिलता और बहुतायत**— कई कानूनों में अलग-अलग परिभाषाएं (जैसे कर्मचारी, वेतन आदि), जिससे अनुपालन मुश्किल।

**उच्च अनुपालन बोझ** — नियोक्ताओं को दर्जनों रजिस्ट्रेशन, अलग-अलग रिटर्न फाइल करने पड़ते थे।

**खराब प्रवर्तन** — कानूनों का क्रियान्वयन कमजोर, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में।

**आधुनिक अर्थव्यवस्था से मेल न खाना** — गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, आईटी सेक्टर आदि नए रोजगार रूपों के लिए कोई प्रावधान नहीं।

**उद्योगों के लिए बाधा** — कठोर छंटनी नियम (जैसे 100 कर्मचारियों से अधिक वाली कंपनियों को सरकार की अनुमति जरूरी) निवेश और रोजगार सृजन में रुकावट।

**श्रमिकों की अपर्याप्त सुरक्षा** — असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता था।

इन समस्याओं के कारण भारत के श्रम बाजार में सुधार की मांग दशकों से थी। दूसरी राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने भी संहिताकरण की सिफारिश की थी, लेकिन क्रियान्वयन में देरी हुई। चार मुख्य श्रम संहिताएं (जिनमें पुराने कानून समाहित)

**मजदूरी संहिता, 2019** — 4 पुराने कानूनों (पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976) को मिलाकर।

**औद्योगिक संबंध संहिता, 2020** — 3 प्रमुख कानून (ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947)।

**सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** — 9 कानून (जैसे ESI 1948, EPF 1952, ग्रेच्युटी 1972, अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स एक्ट 2008 आदि)।

**व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता, 2020** – फैक्टरियां एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, प्लांटेशन्स एक्ट आदि कई कानून।

संजय मेहरा
हाईकोर्ट एडवोकेट
98270 74132

## प्रमुख बदलाव और प्रावधान

**न्यूनतम वेतन की गारंटी** — सभी श्रमिकों (संगठित और असंगठित क्षेत्र) के लिए सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन। लैंगिक भेदभाव प्रतिबंधित, ओवरटाइम पर दोगुना वेतन।

**वेतन संरचना में बदलाव (50 प्रतिशत नियम)** — कुल वेतन में बेसिक + डियरनेस अलाउंस कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए, जिससे PF, ग्रेच्युटी आदि लाभ बढ़ेंगे।

**ग्रेच्युटी में सुधार** — फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को भी 1 साल की सेवा के बाद ग्रेच्युटी का अधिकार।

**पूर्ण और अंतिम निपटान** — इस्तीफा या समाप्ति पर 2 कार्य दिवसों के अंदर सभी बकाया का भुगतान अनिवार्य।

**गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स** — सामाजिक सुरक्षा (PF, ESI, स्वास्थ्य बीमा) का लाभ।

**छंटनी में आसानी** — 300 कर्मचारियों तक वाली कंपनियों को बिना पूर्व अनुमति छंटनी की छूट।

**एक ही रजिस्ट्रेशन और रिटर्न** — अनुपालन आसान, डिजिटल सिस्टम।

## क्रियान्वयन की स्थिति (मार्च 2026)

21 नवंबर 2025 से संहिताएं प्रभावी हैं। दिसंबर 2025 में ड्राफ्ट नियम जारी हुए, जनवरी-फरवरी 2026 तक सुझाव मंगवाए गए। अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से लागू होने की संभावना है, जिसमें केंद्रीय और राज्य नियम अंतिम रूप से लागू होंगे। कुछ राज्य अभी नियम अंतिम रूप दे रहे हैं।

## लाभ और चुनौतियां

- **लाभ**- श्रमिकों को मजबूत सुरक्षा, विशेषकर असंगठित और गिग वर्कर्स को।
- कंपनियों के लिए अनुपालन आसान, एकल लाइसेंस।
- निवेश बढ़ाने और %आत्मनिर्भर भारत% में योगदान।
- **चुनौतियां**- कुछ ट्रेड यूनियनों का विरोध (उद्योगपति-अनुकूल मानते हैं)।
- सैलरी स्ट्रक्चर बदलने में अतिरिक्त खर्च।
- राज्यों में अलग-अलग क्रियान्वयन से भ्रम।

नए श्रम संहिता भारत के श्रम बाजार को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह करोड़ों श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का वादा करता है, साथ ही उद्योगों को नई गति देता है। सरकार और नियोक्ताओं को मिलकर इसका सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा ताकि सबका साथ, सबका विकास का लक्ष्य हासिल हो सके।

भारत में श्रमिकों की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा और उद्योगों के विकास के संतुलन को ध्यान में रखते हुए नए श्रम कानून लागू किए गए हैं। इ न कानूनों का मुख्य उद्देश्य देश के बिखरे हुए श्रम कानूनों को सरल, स्पष्ट और आधुनिक बनाना है। पहले अनेक अलग-अलग कानून होने के कारण श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नए श्रम कानूनों के माध्यम से इन्हें चार प्रमुख श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है, जिससे व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी हो सके।

नए श्रम कानून श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, उचित वेतन, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियाँ और विवादों के त्वरित समाधान का अधिकार प्रदान करते हैं। इसके साथ ही नियोक्ताओं के लिए भी नियमों को सरल बनाने का प्रयास किया गया है ताकि उद्योगों का विकास हो और रोजगार के अवसर बढ़ सकें। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र, ठेका श्रमिकों और गिग वर्करों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की पहल इन कानूनों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

हालाँकि, इन कानूनों की सफलता उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। यदि सरकार, नियोक्ता और श्रमिक सभी मिलकर इन प्रावधानों का सही तरीके से पालन करें, तो इससे श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि नए श्रम कानून श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास हैं, जो भविष्य में भारत की श्रम व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत और सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

# आईएएस वंदना वैद्य के फार्महाउस पर जुआकांड, करोड़ों की है संपत्ति

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

**इंदौर के मानपुर में महिला आईएएस वंदना वैद्य के फार्महाउस पर जुआ पकड़ाया था। हाल ही में सभी आईएएस की संपत्ति घोषित हुई है। इनकी संपत्ति का ब्यौरा खंगाला, अधिकारी करोड़पति हैं।**

इंदौर के महू तहसील के मानपुर में आंवलीपुरा गांव के फार्महाउस में जुआ कांड हुआ। यह फार्महाउस साल 2009 बैच की प्रमोटी आईएएस व पूर्व कलेक्टर वंदना वैद्य और सहकारिता में क्लास वन अधिकारी रहे उनके पति अंबरीश वैद्य का है।

हालांकि पुलिस जांच में सामने आया है कि यह फार्महाउस उनकी बिना जानकारी के ही केयर टेकर रणजीत ने जुआ खेलने के लिए दे दिया था। हाल ही में सभी आईएएस ने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा सरकार को दिया है। इसमें भी यह संपत्ति बताई गई है।

## वंदना वैद्य के पास यह है संपत्ति

1. जोतपुर जिला, जबलपुर में खेती की जमीन है, जिसकी कीमत 18 लाख रुपए है और यह अंबरीश वैद्य के नाम पर है।
2. आवंलीपुरा गांव, मानपुर, इंदौर में एक बड़ी खेती की जमीन है, जिसकी कीमत 28 लाख रुपए है। साथ ही, यहां एक घर और स्टोरेज हॉल भी है, जिनकी कीमत 75 लाख रुपए है। इस

संपत्ति से हर साल 3 लाख रुपए की आय होती है। (इसी फार्महाउस पर जुआ पकड़ाया है)
3. गांधी पार्क कॉलोनी, इंदौर में पुराना घर है, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए है। यह घर आईएएस वंदना वैद्य को उनकी मां ने उपहार में दिया था।
4. ग्राम हुक्माखेड़ी में खेती की जमीन है, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है। यह भी अंबरीश और वंदना के संयुक्त नाम पर है और वसीयत से मिली है।
5. अमिया प्लाजा, ओल्ड पलासिया, इंदौर में एक पुराना फ्लैट है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है और यह वंदना की बेटी के नाम पर है। यह संपत्ति भी वसीयत से मिली है।
6. मानपुर, इंदौर में 1200 वर्गफीट का प्लॉट है, जिसकी कीमत 19 लाख रुपए है। यह प्लॉट उनके बेटे के नाम पर है और बेटे ने इसे अपनी खुद की आय से खरीदा है।

## कुल दो करोड़ 20 लाख की संपत्ति

इस तरह वैद्य दंपत्ती और उनके बेटे-बेटी के नाम पर कुल अचल संपत्तियों की कीमत दो करोड़ 20 लाख रुपए बताई गई है। वहीं, जिस फार्महाउस पर हाल ही में जुआ पकड़ा गया था। यहां की जमीन से उनकी सालाना आय तीन लाख रुपए है। इस फार्महाउस की जमीन करीब पौने तीन हेक्टेयर है।

# बीजेपी संगठन महामंत्री के 6 पद खाली

## मध्य प्रदेश में भी दो महीने से इंतजार, संघ की बैठक में नहीं हुआ फैसला

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

**भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में इन दिनों एक महत्वपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पार्टी के संगठन महामंत्री के छह पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं।**

देश के छह राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। हाल ही में दिल्ली में हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक में इन पदों को भरने को लेकर चर्चा तो हुई, लेकिन फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। इन छह राज्यों में मध्य प्रदेश समेत महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। इन राज्यों में अलग-अलग समय से संगठन महामंत्री का पद खाली है।

### मध्यप्रदेश में दो महीने से पद खाली

मध्यप्रदेश में संगठन महामंत्री का पद करीब दो महीने से खाली है। इस पद पर संघ से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता की नियुक्ति होती है और वही पार्टी संगठन व सरकार के बीच समन्वय का काम संभालते हैं। मध्य प्रदेश में यह पद खाली होने के कारण संगठन से जुड़े कई फैसले फिलहाल इंतजार में हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भी नए संगठन महामंत्री की नियुक्ति को लेकर चर्चा चल रही है।

### अन्य राज्यों में भी लंबे समय से खाली पद

अगर बाकी राज्यों की स्थिति देखें तो कुछ जगह यह पद काफी लंबे समय से खाली है।

**महाराष्ट्र** – लगभग 5 साल से पद खाली
**राजस्थान** – करीब 2 साल से खाली
**केरल** – करीब 2 साल से खाली
**कर्नाटक** – करीब 2 साल से खाली
**मध्यप्रदेश** – करीब 2 महीने से खाली
**तमिलनाडु** – करीब 2 महीने से खाली

### संघ की बैठक में भी नहीं हुआ फैसला

दिल्ली में हाल ही में संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी, जिसमें इन राज्यों में संगठन महामंत्री की नियुक्ति को लेकर चर्चा होने की उम्मीद थी। लेकिन बैठक के बाद भी इन पदों पर किसी नाम की घोषणा नहीं की गई। माना जा रहा है कि संघ और भाजपा नेतृत्व अभी इस पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही नए नाम सामने आ सकते हैं।

### संगठन महामंत्री का पद क्यों है अहम?

बीजेपी में संगठन महामंत्री का पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पद आमतौर पर आरएसएस से जुड़े प्रचारक को दिया जाता है। पार्टी संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के बीच तालमेल बनाए रखना, चुनावी रणनीति में मदद करना, संघ और बीजेपी के बीच समन्वय करना उनकी मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं। इस वजह से जब यह पद खाली रहता है तो संगठन के कई अहम काम प्रभावित हो सकते हैं।

### मध्यप्रदेश में बढ़ी उत्सुकता

मध्यप्रदेश में आने वाले समय में संगठनात्मक गतिविधियां और राजनीतिक रणनीति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की नजर अब इस बात पर टिकी है कि नए संगठन महामंत्री की नियुक्ति कब होती है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में संघ और बीजेपी नेतृत्व इस पर फैसला लेकर नए नाम की घोषणा कर सकते हैं।

# होटल वालों ने कहा अभी स्थिति सामान्य नहीं...

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

मध्य प्रदेश होटल एसोसिएशन ने प्रदेश में होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को मिलने वाली वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति अभी तक सामान्य न होने पर चिंता व्यक्त की है।

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया की मध्य प्रदेश समिति के अध्यक्ष एवं इंदौर होटलियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित सूरी ने कहा कि वर्तमान में वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाई है, जिससे आतिथ्य उद्योग के संचालन में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं।

इसके बावजूद होटल उद्योग अपने अतिथियों को सेवा प्रदान करने के लिए वैकल्पिक साधनों, सीमित मेनू तथा उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से भोजन व्यवस्था बनाए रखने का हर संभव प्रयास कर रहा है। जिन होटलों में आवास, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट संचालन है, वहां विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अतिथियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सूरी ने कहा कि यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो आने वाले समय में होटल एवं रेस्टोरेंट उद्योग के लिए संचालन संबंधी चुनौतियाँ और अधिक बढ़ सकती हैं।

उन्होंने विशेष रूप से यह भी कहा कि आतिथ्य उद्योग रोजगार प्रदान करने वाला एक बड़ा क्षेत्र है, जिसमें शेफ, किचन स्टाफ, सर्विस स्टाफ, हाउसकीपिंग, तकनीकी कर्मचारी तथा अन्य अनेक सहयोगी कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान परिस्थिति के बावजूद उद्योग यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि कर्मचारियों की आजीविका पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

होटल संचालक इस कठिन परिस्थिति में भी अपने कर्मचारियों को कार्य पर बनाए रखने, किसी प्रकार की छंटनी से बचने तथा उनके हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि होटल उद्योग की मजबूती उसके कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण पर ही आधारित है। मध्य प्रदेश होटल एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि आतिथ्य उद्योग के महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र को आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में रखते हुए सहयोग प्रदान किया जाए, क्योंकि यह क्षेत्र पर्यटन, व्यापारिक गतिविधियों और बड़े पैमाने पर रोजगार से सीधे जुड़ा हुआ है। एसोसिएशन को आशा है कि शीघ्र ही आपूर्ति व्यवस्था सामान्य होगी और होटल उद्योग अपने कर्मचारियों और अतिथियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारीपूर्वक सेवाएं देता रहेगा।

## इस सप्ताह आपके सितारे
**18 मार्च 2026 से 24 मार्च 2026**

# किसी को संतान पक्ष से होगी पीड़ा तो किसी के व्यय ज्यादा होंगे

**मेष-** इस सप्ताह कारोबार में उछाल दिखेगा। आय भी बढ़ेगी। किसी व्यक्ति के सहयोग से कोई कार्य होने की संभावना भी है। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। व्यय ज्यादा होंगें। संतान पक्ष पीड़ित करेगा। वाहन सुख उत्तम। माता का स्वास्थ्य ठीक-ठीक रहेगा।

**वृषभ-** इस सप्ताह प्रेम संबंधों में सावधानी रखें अन्यथा परेशानी होगी। जीवनसाथी का शारीरिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार ठीक-ठीक रहेगा। वाहन सावधानी से चलावें। बेवजह के विवादों से बचें। भूमि संबंधी कोई सौदे न करें। कारोबार ठीक रहेगा। आवक अच्छी होगी।

**मिथुन-** इस सप्ताह शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी। शत्रु भी परेशान कर सकते हैं। मित्र भी वांछित सहयोग नहीं देंगें। संतान संबंधी चिंता का निवारण होगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग अच्छा रहेगा। बेवजह के विवादों में न पड़ें।

**कर्क-** जीवनसाथी का सहयोग एवं व्यवहार इस सप्ताह मध्यम रहेगा। संतान पक्ष सहयोग करेगा। आवक मे वृद्धि होगी। कारोबार वृद्धि की तरफ बढ़ेगा। मित्रों से मिलना-जुलना बढ़ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। वाहन सावधानी पूर्वक चलावें। विवादों में न पड़े अन्यथा कष्ट होगा। परिजनों का उत्तम सहयोग मिलेगा।

**सिंह-** इस सप्ताह संतान पक्ष आपको पीड़ित कर सकता है। अनायास कोई नुकसान भी हो सकता है अतः सावधान रहें। जीवनसाथी का सहयोग एवं स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध ठीक रहेंगें। कारोबार में हल्का सा उतार-चढ़ाव दिखाई देगा। यात्रा को टालें। भूमि-भवन के विवाद में न पड़ें।

**कन्या-** शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन हानि अथवा अधिक व्यय के योग है। पारिवारिक परिवेश अमूमन अच्छा रहेगा। कोई रुका कार्य होगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं सहयोग मध्यम रहेगा। कारोबार भी मध्यम रहेगा। लाभ सीमित होंगें।

**तुला-** जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं व्यवहार ठीक-ठीक रहेगा। किसी व्यक्ति के व्यवहार से मन दुखी होगा। अस्थियों में कष्ट संभव है। वाहन कष्ट दे सकता है। परिजनों का वांछित सहयोग मिलेगा। आय संतोषजनक रहेगी। बेवजह के व्यय भी हो सकते हैं। प्रेम सबंधों के प्रति सावधान रहें।

**वृश्चिक-** मन में कुछ खिन्नता रहेगी। मानसिक तनाव भी रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग एवं व्यवहार अच्छा रहेगा। पिता को या पिता से कष्ट संभव है। माता का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय है। किसी रोग का अल्प कष्ट होगा। विशेष रुप से श्वसन अथवा उद्विकारों के लिए लापरवाह न रहें। शत्रु पीड़ा होगी।

**धनु-** इस सप्ताह आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बेवजह के विवादों से बचें। भूमि संबंधी कार्य कष्ट दे सकते हैं। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं सहयोग अच्छा रहेगा। कोई प्रतिक्षित कार्य होगा। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह धनात्मक है।

**मकर-** इस सप्ताह माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी पर आंख मींच कर भरोसा न करें। संतान पक्ष कुछ परेशान कर सकता है, किन्तु जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं सहयोग अच्छा रहेगा। कारोबार अच्छा चलेगा। आवक अच्छी होगी। कोई रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा।

**कुंभ-** यात्रा के योग बन सकते हैं किन्तु उसे टालें। नौकरी अथवा प्यार में कुछ ऋणात्मकता दिखाई देगी। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान पक्ष की तरफसे पर्याप्त सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध फले-फूलेंगे। आवक मध्यम।

**मीन-** कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह श्रेष्ठ है। किसी रुके हुए कार्य के होने से खुशी होगी। जीवनसाथी का व्यवहार अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। संतान पक्ष आंशिक रूप से पीड़ित कर सकता है। बेवजह के विवादों में न पड़ें। वाहन सुख उत्तम। कारोबार मध्यम रहेगा। लाभ सीमित होंगें। वाहन सावधानी से चलावें।

**श्रीमान उमेश पांडे**
**ज्योतिष एवं वास्तुविद**
महात्मा गांधी मार्ग, मल्हारगंज, इंदौर (म.प्र.)
मो. 8602912030

### इस सप्ताह की ग्रह स्थितियां

■ सूर्य - मीन ■ चंद्र - कुंभ से वृषभ ■ मंगल - कुंभ ■ बुध - कुंभ वक्री ■ गुरु - मिथुन ■ शुक्र - मीन में ■ शनि - मीन ■ राहु - कुंभ ■ केतु - सिंह

# उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

**लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। करीब डेढ़ दशक बाद संगठन में व्यापक फेरबदल की योजना बनाई जा रही है। वर्ष 2010 से अब तक कई पदाधिकारी महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री और प्रवक्ता जैसे पदों पर लगातार बने हुए हैं। इस दौरान सात प्रदेश अध्यक्ष बदले, लेकिन संगठन के कई प्रमुख पदों पर वही चेहरे कायम रहे। इनमें से कई नेता विधायक या विधान परिषद सदस्य भी बन चुके हैं, फिर भी उनकी संगठनात्मक जिम्मेदारियां बनी हुई हैं।**

## 2027 चुनाव से पहले नई टीम बनाने की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव की योजना पर काम कर रहे हैं। यह बदलाव केवल औपचारिक नहीं होगा, बल्कि इसका असर जमीनी स्तर पर भी दिखाने की कोशिश की जा रही है। नई टीम बनाते समय जातीय, क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को खास प्राथमिकता दी जा रही है।

## लंबे समय से वही चेहरे बने रहे

पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश अध्यक्ष तो बदलते रहे, लेकिन संगठन के कई अहम पदों पर पुराने नेताओं की ही पुनरावृत्ति होती रही। इससे कई क्षेत्रों और वर्गों को अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। संगठन में कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और संत कबीर नगर जैसे कुछ जिलों को अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्व मिलने की चर्चा रही, जबकि अन्य कई क्षेत्रों की अनदेखी की शिकायतें सामने आती रहीं।

## कई क्षेत्रों को नहीं मिला पर्याप्त प्रतिनिधित्व

सूर्य प्रताप शाही के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कुछ जिलों से संगठन में दो से चार तक पदाधिकारी शामिल किए गए। वहीं कानपुर-बुंदेलखंड, ब्रज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, काशी और अवध क्षेत्र के कई जिलों को अपेक्षित भागीदारी नहीं मिल सकी। इससे कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ने की बात भी सामने आई है, जिसका असर पार्टी के कार्यक्रमों और चुनावी तैयारियों पर पड़ सकता है।

## सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों के बदलने की संभावना

सूत्रों के अनुसार संगठन के छह क्षेत्रीय अध्यक्ष–काशी, गोरक्ष, अवध, पश्चिम, ब्रज और कानपुर-बुंदेलखंड–को भी बदला जा सकता है। इसके पीछे दो प्रमुख वजहें बताई जा रही हैं। पहली, चयन के दौरान जातीय संतुलन का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया और दूसरी, कुछ अध्यक्षों के खिलाफ प्रदेश नेतृत्व को शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों में व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देने और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के बीच विवाद सुलझाने में विफल रहने जैसी बातें शामिल हैं।

## विधायक बने पदाधिकारियों को भी बदला जा सकता है

संगठन में ऐसे कई पदाधिकारी हैं जो राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य बन चुके हैं, लेकिन अब भी महामंत्री या उपाध्यक्ष जैसे पदों पर बने हुए हैं। इस बार उन्हें भी बदले जाने की तैयारी है। इनमें कई नेता सूर्य प्रताप शाही, लक्ष्मीकांत वाजपेई, केशव प्रसाद मौर्य, महेंद्र नाथ पांडेय और स्वतंत्रदेव सिंह के कार्यकाल से ही संगठन में जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं।

## कुर्सी बचाने में जुटे कई पदाधिकारी

संगठन में संभावित बदलाव की चर्चा तेज होने के बाद कई पदाधिकारी अपनी स्थिति मजबूत करने में जुट गए हैं। कुछ नेता नए प्रदेश नेतृत्व से संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लगातार उनके करीब रहने की रणनीति अपना रहे हैं। वहीं कई नेता संघ के साथ अपने संबंधों को भी सक्रिय करने में लगे हैं। माना जा रहा है कि नई टीम के ऐलान के साथ संगठन में कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है।

# मप्र भाजपा : संगठन महामंत्री की नियुक्ति का इंतज़ार

**भोपाल।** मध्य प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक स्तर पर एक महत्वपूर्ण पद फिलहाल खाली पड़ा हुआ है। सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं के मुताबिक प्रदेश में भाजपा संगठन महामंत्री के पद पर अभी किसी नई नियुक्ति की संभावना नजर नहीं आ रही है। दरअसल, पूर्व संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की विदाई को करीब डेढ़ महीना बीत चुका है, लेकिन उनके स्थान पर किसी नए चेहरे की नियुक्ति को लेकर पार्टी संगठन में अभी तक कोई ठोस हलचल दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ही संगठन से जुड़े कई अहम कामकाज देख रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जब तक पार्टी शीर्ष नेतृत्व कोई औपचारिक फैसला नहीं लेता, तब तक यही व्यवस्था जारी रह सकती है।

इधर, यह भी चर्चा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पानीपत में हुई अहम बैठक के बाद संगठन महामंत्री के पद को लेकर कोई निर्णय सामने आ सकता है। हालांकि फिलहाल पार्टी या संघ की ओर से इस विषय में आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है।

भाजपा में संगठन महामंत्री का पद बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि यही पद संगठन और सरकार के बीच तालमेल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में सभी की नजरें अब आने वाले दिनों में होने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं।

## पत्नी के शरीर में पुरुषों वाले XY क्रोमोसोम

भोपाल में एक डिफेंस अधिकारी और उनकी पत्नी की साल 2023 में हुई अरेंज मैरिज के बाद जिंदगी सामान्य और खुशहाल चल रही थी, लेकिन दो साल बाद भी संतान नहीं होने पर जब उन्होंने इलाज शुरू कराया तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। जांच में पता चला कि महिला के शरीर में सामान्य महिलाओं की तरह XX क्रोमोसोम नहीं, बल्कि पुरुषों वाले XY क्रोमोसोम हैं। बाहरी रूप से महिला पूरी तरह सामान्य दिखाई देती थीं, लेकिन शरीर के अंदर ओवरी की जगह अविकसित अंडकोष थे। इस स्थिति से दंपती को गहरा सदमा लगा। बाद में उन्होंने एम्स भोपाल में विशेषज्ञों से इलाज कराया, जहां दो चरणों में सर्जरी कर समस्या का समाधान किया गया।

# कोर्ट से कहा - महिलाओं को मासिक धर्म में मिले छुट्टी

नई दिल्ली। सरकार के पास जाइए... पूरे देश में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की मांग वाली याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ के सामने ये मामला उठाया गया था। ये याचिका शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी ने दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा- इस तरह की याचिकाए कभी-कभी महिलाओं को कमजोर या कमतर दिखाने का माहौल बना देती हैं। ऐसी याचिकाएं यह डर पैदा करती हैं कि मासिक धर्म महिलाओं के साथ कुछ बुरा होने जैसा है। इससे उन्हें ही नुकसान होगा।

### महिलाओं को जिम्मेदार पद देने से हिचकेंगे...

सीजेआई सूर्यकांत ने याचिका की सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि यदि ऐसी व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई तो नियोक्ता महिलाओं को जिम्मेदार पद देने से हिचक सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि न्यायिक सेवाओं में भी महिलाओं को सामान्य ट्रायल जैसे महत्वपूर्ण काम सौंपने से बचा जा सकता है, जिससे उनके करियर पर असर पड़ सकता है।

# मोबाइल डेटा पर सरकार लगा सकती है नया टैक्स

नई दिल्ली। भारत में आने वाले समय में मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करना महंगा हो सकता है। सरकार मोबाइल डेटा के इस्तेमाल पर नया टैक्स लगाने के विकल्प को देख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) से कहा गया है कि वह इस पर स्टडी करे और बताए कि क्या डेटा यूज़ पर टैक्स लगाना संभव है या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में टेलीकॉम सेक्टर की एक रिव्यू मीटिंग में यह मुद्दा सामने आया। इसके बाद DoT को कहा गया कि वह यह जांच करे कि मोबाइल डेटा के इस्तेमाल पर टैक्स लगाया जा सकता है या नहीं और अगर लगाया जाए तो उसका मॉडल क्या होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार जिस विकल्प को देख रही है उसमें रु. 1 प्रति GB डेटा पर टैक्स लगाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो हर बार जब कोई यूजर मोबाइल डेटा इस्तेमाल करेगा तो उस पर यह अतिरिक्त चार्ज जुड़ सकता है। बताया जा रहा है कि अगर रु. 1 प्रति GB का टैक्स लागू होता है तो इससे सरकार को हर साल लगभग रु. 22,900 करोड़ तक की कमाई हो सकती है। हालांकि अभी यह सिर्फ एक प्रस्ताव है और इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां मोबाइल डेटा काफी सस्ता है। सस्ते इंटरनेट की वजह से भारत में डेटा की खपत बहुत तेजी से बढ़ी है। वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और रील्स देखने की वजह से मोबाइल डेटा का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। एक और अहम बात यह है कि अभी भी मोबाइल रिचार्ज और पोस्टपेड बिल पर 18% GST लिया जाता है। यानी यूजर्स पहले से ही टेलीकॉम सर्विस पर टैक्स दे रहे हैं। अगर भविष्य में डेटा पर अलग से टैक्स लगाया जाता है तो यह मौजूदा टैक्स के अलावा एक नया चार्ज हो सकता है। फिलहाल सरकार ने DoT से कहा है कि वह इस प्रस्ताव की पूरी स्टडी करे और इसके फायदे-नुकसान को समझे। रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार तय करेगी कि भारत में मोबाइल डेटा के इस्तेमाल पर नया टैक्स लगाया जाएगा या नहीं। सराकर की तरफ से हालांकि अभी इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रेडिट से लेकर तमाम सोशल मीडिया पर सूत्रों के हवालें से ये खबर चल रही है।

## इंदौर नगर निगम की बड़ी लापरवाही उजागर

# 5 साल पहले लगे टैक्स को वसूलने की अब याद

### नागरिकों से एक साथ 5 साल का खुले स्थान का संपत्ति कर करेंगे वसूल

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

**इंदौर नगर निगम की लापरवाही के कई किस्से और घटनाएं सामने आती रहती है। इस कड़ी में अब एक और नया मामला सामने आया है। राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2020 में सभी बहू के खुले स्थान को भी टैक्सेबल बना दिया गया। उस पर संपत्ति कर लागू करने का आदेश दिया गया। नगर निगम को अब 5 साल बाद इस टैक्स को वसूलने की याद आई है। अब नागरिकों से एक साथ 5 साल का यह टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू की गई है।**

नगर निगम की चर्चा जब भी होती है तो उसके द्वारा किए गए किसी अच्छे और जोरदार काम के लिए नहीं होती है बल्कि कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ी सामने आती है जिसके कारण उसकी चर्चा ज्यादा होती है।

#### पुरानी सीख पर अमल किया तो मिल गई सफलता

कहते हैं कि अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। इंदौर नगर निगम की राजस्व वसूली में यह बात एक बार फिर सही साबित होती दिखाई दी। जब पुरानी रणनीति पर अमल किया गया, तो सफलता अपने आप मिलने लगी।

करीब तीन माह पहले आयोजित लोक अदालत के दौरान तत्कालीन (आईएएस) कमिश्नर दिलीप कुमार यादव ने राजस्व वसूली को लेकर कई सख्त और प्रभावी कदम उठाए थे। बड़े बकायदारों के नाम सार्वजनिक करने से लेकर नए खाते खुलवाने और पुराने खातों में हुई गड़बड़ियों पर सख्ती करने तक कई स्तरों

पर कार्रवाई की गई थी।

इसके साथ ही वसूली को लेकर जोन स्तर पर विशेष रणनीति तैयार की गई थी, ताकि अधिक से अधिक राजस्व निगम के खजाने में जमा हो सके। खास तौर पर इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) से वसूली पर भी विशेष फोकस रखा गया था। वहीं दूसरी ओर करदाताओं की सुविधा का भी ध्यान रखा गया, ताकि उन्हें टैक्स जमा करने में किसी तरह की परेशानी न हो।

इन प्रयासों का ही परिणाम था कि उस लोक अदालत में नगर निगम ने कड़ी मशक्कत के बाद 100 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व हासिल किया था।

#### पुरानी रणनीति पर फिर किया भरोसा

वर्तमान में नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने भी राजस्व वसूली को लेकर उसी अनुभव और रणनीति को आधार बनाया। लोक अदालत की ब्रांडिंग, व्यापक प्रचार-प्रसार और जोन स्तर पर सतत मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान दिया गया। इसका असर भी साफ दिखाई दिया। निगम ने अपेक्षाकृत आसानी से 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया और राजस्व वसूली का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ता नजर आया।

#### मार्च की लोक अदालत में करदाता भी रहते हैं सक्रिय

दरअसल मार्च माह की अंतिम लोक अदालत का एक अलग ही महत्व होता है। इस दौरान कई करदाता स्वयं आगे बढ़कर अपना बकाया टैक्स जमा करते हैं, ताकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले उनके सभी बकाया निपट जाएं। नगर निगम ने इस मनोविज्ञान को समझते हुए जागरूकता और सुविधा दोनों पर ध्यान दिया। यही कारण रहा कि निगम ने न सिर्फ जनता का विश्वास जीता, बल्कि इंदौर विकास प्राधिकरण से करीब 40 करोड़ रुपये की वसूली भी कर ली। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि यदि सही रणनीति, अनुभव और सतत मॉनिटरिंग के साथ काम किया जाए, तो राजस्व वसूली जैसे कठिन कार्य में भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की जा सकती है।

# इंदौर की गाइडलाइन में 158 नई लोकेशन जोड़ी

### इंदौर में 2600 स्थान की जमीन की कीमत की दर बढ़ाई जाएगी

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

**वर्ष के लिए तैयार की जा रही इंदौर की गाइडलाइन में 158 नई लोकेशन जोड़ी गई है। इसके साथ ही इंदौर में कुल 2600 स्थान की जमीन की कीमत गाइडलाइन में बढ़ाई जाएगी। इसके लिए गाइडलाइन तैयार कर उसका प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है।**

जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आज कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता तथा विधायक महेन्द्र हार्डिया की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। बैठक में नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. परीक्षित झाड़े, वरिष्ठ जिला पंजीयक अमरेश नायडू सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक में इंदौर जिले में स्थित लगभग 2600 कॉलोनियों और लोकेशनों की गाइडलाइन दरों में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया।

बैठक में समिति के सदस्यों और अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर कुछ क्षेत्रों में प्रस्तावित वृद्धि में संशोधन करते हुए कुछ और स्थानों पर दरों में बढ़ोतरी किए जाने पर भी सहमति बनी। इसके साथ ही वर्ष 2026 के लिए 158 नई लोकेशन और कॉलोनियों को गाइडलाइन में शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

कलेक्टर वर्मा ने बताया कि प्रस्तावित गाइडलाइन दरों को आमजन से सुझाव प्राप्त करने के लिए सात दिनों तक सार्वजनिक किया जाएगा। इस अवधि में प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करते हुए पुनः जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद अंतिम प्रस्ताव को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

बैठक में चर्चा के दौरान बताया गया कि वर्तमान में अधिकतम 185 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार कुछ स्थानों पर इसे और संशोधित किया जाएगा।

संपदा पोर्टल से प्राप्त पंजीयन आंकड़ों के अनुसार कई क्षेत्रों में संपत्तियों का पंजीयन गाइडलाइन दर से काफी अधिक मूल्य पर हुआ है। उदाहरण के तौर पर जहां गाइडलाइन दर 10 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर थी, वहां 50 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर तक पंजीयन दर्ज हुए, जो लगभग 500 प्रतिशत तक अधिक हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर संबंधित लोकेशनों में दरों में वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

प्रस्तावित दरों को आमजन के सुझावों के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। प्राप्त सुझावों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस गाइडलाइन पर कोई भी आम नागरिक अपना सुझाव या आपत्ति दे सकता है। यह सुझाव किसी भी पंजीयन कार्यालय में जाकर लिखित में दिया जा सकता है।

प्रकाशक एवं मुद्रक गौरव गुप्ता द्वारा स्वामी अशर्फीलाल विमलादेवी मीडिया सर्विसेस प्रा.लि. के लिए डी. बी. कॉर्प लि., 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर एफ, इंडस्ट्रियल एरिया, सांवेर रोड इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 401-402, डी.एम. टॉवर जंजीरवाला चौराहा, इंदौर 452001 से प्रकाशित। संपादक- गौरव गुप्ता, कार्यकारी संपादक-जितेंद्र जाखेटिया*। फोन नंबर-0731-4032200, आर.एन.आई. नं. MPHIN/2013/52898* समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार।